न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 01/2024
दायर दिनांकः 02.04.2024
निर्णय दिनांक 31.10.2025

—:अनवानः—

राज्य सरकार जरिये रणजीत सिंह सिसोदिया, जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द

—— **प्रार्थी**

बनाम

श्री फतह सिंह पुत्र श्री चुन सिंह रावत, उचित मूल्य दुकानदार, छापली—बी ग्राम पंचायत छापली भीम जिला राजसमन्द

—— **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अनतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 34.79 क्विंटल गेहूं अनाधिकृत स्थान पर अवैध रूप से भण्डारित पाये जाने से जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

1— श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रार्थी
2— श्री प्रमोद पूर्बिया, अधिवक्ता अप्रार्थी अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनाक 06.03.2024 को श्री फतह सिंह पुत्र चुन सिंह रावत उचित मूल्य दुकानदार छापली—बी तहसील भीम के विरूद्ध अनियमितता के क्रम में शिकायत प्राप्त हुई। इस पर मैं, उचित मूल्य दुकान छापली—बी का निरीक्षण करने हेतु उपस्थित हुए। वक्त जाच उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्र में अंकित स्थान की बजाय अन्य अनाधिकृत स्थान पर अवैध रूप से कालाबाजारी के उदेश्य से गेहूं भण्डारित पाये गये। इस पर पॉस मशीन संख्या 31490 में घोषित स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें भी पॉस मशीन में घोषित स्टॉक 1.44 क्विंटल गेहूं कम पाया गया, दुकान पर मूल्य स्टॉक सूची बोर्ड संधारित नहीं पाया गया एवं जिला रसद अधिकारी, संबंधित प्रवर्तन निरीक्षक का दूरभाष नम्बर अंकित नहीं पाये गये। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अनाधिकृत रूप से भण्डारित 34.79 क्विंटल गेहूं अन्य दुकान/कमरा

न्यायालय जिला कलक्टर (राज.)

जो नक्शों में अकित नहीं है, में पाया गया जिसके संबंध में उचित मूल्य दुकानदार द्वारा कोई संतोशप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार उचित मूल्य दुकान पर प्राधिकार पत्र में अंकित स्थल की बजाय अनाधिकृत स्थल पर भण्डारित 34.79 क्विंटल गेहूं के क्रम में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर 34.79 क्विंटल गेहूं को जब्त कर व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति, छापली उचित मूल्य दुकानदार छापली तहसील भीम सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा पर हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार, श्री फतह सिंह पुत्र चुन सिंह रावत, उचित मूल्य दुकानदार, छापली–बी तहसील भीम का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2015 का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जब्तशुदा 34.79 क्विंटल गेहूं को राजसात करने की कृपा करें। चुँकि गेहूँ शीघ्र खराब होने वाली वस्तु है, अतः धारा 6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उक्त सामग्री का उचित मूल्य दुकान के माध्यम से अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद पूर्बिया ने अपनी उपस्थित दी।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उचित मूल्य की दुकान संचालन में किसी भी प्रकार की नियम विरूद्ध अनियमितता नही बरती गई। प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अवैध कालाबाजारी नही की गई और ना ही प्राधिकृत पत्र में अंकित किसी अन्य स्थान पर गेहुँ भण्डारित किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.03.2024 को एक प्रार्थना पत्र मय प्रमाणित नक्शा उचित मुल्य की दुकान का प्रस्तुत किया जो माननीय रसद अधिकारी राजसमन्द के पास ही है, उक्त प्रस्तावित नक्शे के अनुसार ही गेहूँ का भण्डारण किया गया था। प्रार्थी के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यावाही दुषित व मिथ्या तथ्यों के आधारो पर की गई हैं। प्रार्थी एक ईमानदार व्यक्ति होकर सदैव राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों व नियमो के अधीन रहकर ही अपनी उचित मुल्य की दुकान का संचालन करता आ रहा हैं। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

वक्त बहस अधिवक्ता अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने से राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया कि अप्रार्थी से उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्र में अंकित स्थान की बजाय अन्य अनाधिकृत स्थान पर अवैध रूप से कालाबाजारी के उदेश्य से गेहूं भण्डारित पाये गये। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अनाधिकृत रूप से भण्डारित 34.79 क्विंटल गेहूं अन्य दुकान/कमरा जो नक्शों में अकित नहीं है, में पाया गया जिसके संबंध में उचित मूल्य दुकानदार/अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। पॉस मशीन संख्या 31490 में घोषित स्टॉक के भौतिक सत्यापन में भी पॉस मशीन में घोषित स्टॉक से 1.44 क्विंटल गेहूं कम पाया गया। साथ ही दुकान पर मूल्य स्टॉक सूची बोर्ड संधारित नहीं पाया गया एवं जिला रसद अधिकारी,

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

संबंधित प्रवर्तन निरीक्षक का दूरभाष नम्बर अंकित नहीं पाये गये। इस प्रकार उचित मूल्य दुकान पर प्राधिकार पत्र में अंकित स्थल की बजाय अनाधिकृत स्थल पर भण्डारित 34.79 क्विंटल गेहूं के क्रम में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से राजसात किये जाने के आदेश प्रदान कराना फरमावे।

मैंने राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अनाधिकृत रूप से भण्डारित 34.79 क्विंटल गेहूं अन्य दुकान/कमरा जो नक्शों में अकित नहीं है, में पाया गया जिसके संबंध में उचित मूल्य दुकानदार द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। जिसे प्रार्थी द्वारा जब्त सरकार किया गया। वक्त बहस अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। इससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता हैं कि अप्रार्थी को इस मामले में कुछ नहीं कहना हैं। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब में भी कोई विशेष तथ्यों का अंकन नही किया तथा अपने जवाब के समर्थन में कोई आकट्य प्रमाण पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत नही किये हैं।

अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त मामले में अप्रार्थी से जब्तशुदा 34.79 क्विंटल गेहूं को राजसात किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से जब्तशुदा 34.79 क्विंटल गेहूं को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी से जब्तशुदा 34.79 क्विंटल गेहूं का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राज्यमद में जमा करावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)